पत्र संख्या-विधि-4(1)-पंजीयन (2015-16) परिपत्र भाग-3 /516/15/6021 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ दिनॉक 26 जून , 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र सं0-1972/ 1011101 दिनॉक 21-3-11, 289 /1213014 दिनॉक 22-5-12 ,844/ 12132053/ दिनॉक 5-9-12 तथा 111/1314012 दिनॉक 24-4-13 के द्वारा डीम्ड कर निर्धारण के विषय में विस्तृत निर्देश दिये गये है। दाखिल वार्षिक रिटर्न की जॉच पर पायी गयी कमियों के आधार पर नियम-45(13) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली नोटिस की प्रक्रिया को ऑन लाइन जारी किये जाने की व्यवस्था सॉफ़्टवेयर में की गयी है। यह प्रक्रिया निम्नवत है :-

(1) R5A generate करने से Notice generate करने की प्रक्रिया assessment module में पूर्ववत रहेगी।

(2) नियम 45(13) के अन्तर्गत नोटिस को सलेक्ट करने पर अलग पेज खुलेगा जिसमें कर निर्धारण वर्ष रसीद सख्या व दिनॉक भरने के पश्चात् नोटिस किन कारणों से दी जा रही है उसे सलेक्ट करने की व्यवस्था है। इसमें एक से अधिक कारण को भी सलेक्ट किया जा सकता है।

(3) इसके पश्चात् Submit बटन पर क्लिक करने पर नोटिस जनरेट हो जायेगी।

अत: इस सम्बंध में निर्देशित किया जाता है कि दिनॉक 1-7-2015 से नियम 45(13)के अन्तर्गत समस्त नोटिस विभागीय सॉफ़्टवेयर से अनिवार्य रुप से जारी की जायेगी ।

अग्रेतर यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियम 45(13) के अन्तर्गत नोटिस सुस्पष्ट आधार होने पर ही जारी की जाये तथा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि किसी प्रकरण में बिना सुस्पष्ट आधार के उक्त नियम 45(13) के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी है तो सम्बंधित अधिकारी के विरुद्व प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जाये।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर , उ0 प्र0 के आदेश के क्रम में प्रेषित हैं।

भवदीय,

(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,

मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ